# बिहार लोक सेवा आयोग

## 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में 25 विभागों (स्पेशियलिटी) के अधीन सहायक प्राध्यापक के कुल–1711 (एक हजार सात सौ ग्यारह) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से (पूर्व में प्रकाशित वि.सं.–34/2024 से 56/2024 को निरस्त करते हुए) विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट **www.bpsc.bihar.gov.in** पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों का विभागवार एवं कोटिवार विवरणी निम्नवत है:–

| क्र॰ सं॰ | विज्ञापन सं॰ | विभाग का नाम | बैकलॉग/ चालू रिक्ति से | अनुसूचित जाति | | अनुसूचित जनजाति | | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | | पिछड़ा वर्ग | | पिछड़े वर्गों की महिलाएँ | अनारक्षित | | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | | कुल रिक्त पद | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती/ नाती/ नातीनी को 2% | दिव्यांग को 4% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या | | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या | | | VI | DD | OH | MD |
| 1. | 04/2025 | एनाटॉमी | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 28 | 10 | 07 | 02 | 69 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 |
| | | | चालू | 11 | 04 | 00 | 00 | 12 | 04 | 09 | 03 | 02 | | | | | | | | | | |
| 2. | 05/2025 | निश्चेतना | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 49 | 17 | 13 | 05 | 125 | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 |
| | | | चालू | 20 | 07 | 01 | 00 | 23 | 08 | 15 | 05 | 04 | | | | | | | | | | |
| 3. | 06/2025 | बायोकेमेस्ट्री | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 24 | 08 | 06 | 02 | 60 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| | | | चालू | 09 | 03 | 01 | 00 | 11 | 04 | 07 | 02 | 02 | | | | | | | | | | |
| 4. | 07/2025 | दंत रोग | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 09 | 03 | 02 | 00 | 23 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| | | | चालू | 04 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 03 | 01 | 01 | | | | | | | | | | |
| 5. | 08/2025 | नेत्र रोग | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 26 | 09 | 06 | 02 | 64 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| | | | चालू | 10 | 04 | 01 | 00 | 11 | 04 | 08 | 03 | 02 | | | | | | | | | | |
| 6. | 09/2025 | नाक, कान एवं गला | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 26 | 09 | 07 | 02 | 65 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 |
| | | | चालू | 10 | 04 | 01 | 00 | 11 | 04 | 08 | 03 | 02 | | | | | | | | | | |
| 7. | 10/2025 | एफ॰एम॰टी॰ | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 24 | 08 | 06 | 02 | 59 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 |
| | | | चालू | 09 | 03 | 01 | 00 | 10 | 04 | 07 | 02 | 02 | | | | | | | | | | |
| 8. | 11/2025 | माइक्रोबायोलॉजी | बैकलॉग से | 01 | | 00 | | 01 | | 01 | | 00 | 23 | 08 | 06 | 02 | 60 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 |
| | | | चालू | 09 | 03 | 01 | 00 | 10 | 04 | 06 | 02 | 02 | | | | | | | | | | |
| 9. | 12/2025 | औषधि | बैकलॉग से | 07 | | 01 | | 07 | | 06 | | 01 | 39 | 14 | 10 | 04 | 120 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | | चालू | 16 | 06 | 01 | 00 | 18 | 06 | 11 | 04 | 03 | | | | | | | | | | |

| क्र. सं. | विज्ञापन सं. | विभाग का नाम | बैकलॉग / चालू रिक्ति से | अनुसूचित जाति: कोटिवार रिक्ति की संख्या | अनुसूचित जाति: महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या | अनुसूचित जनजाति: कोटिवार रिक्ति की संख्या | अनुसूचित जनजाति: महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या | अत्यंत पिछड़ा वर्ग: कोटिवार रिक्ति की संख्या | अत्यंत पिछड़ा वर्ग: महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या | पिछड़ा वर्ग: कोटिवार रिक्ति की संख्या | पिछड़ा वर्ग: महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या | पिछड़े वर्गों की महिलाएँ | अनारक्षित: कोटिवार रिक्ति की संख्या | अनारक्षित: महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: कोटिवार रिक्ति की संख्या | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या | कुल रिक्त पद | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातीनी को 2% | दिव्यांग को 4%: VI | दिव्यांग को 4%: DD | दिव्यांग को 4%: OH | दिव्यांग को 4%: MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 13/2025 | हड्डी रोग | बैकलॉग से | 01 | | 00 | | 01 | | 00 | | 00 | 30 | 11 | 07 | 02 | 76 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 |
| | | | चालू | 12 | 04 | 01 | 00 | 13 | 05 | 09 | 03 | 02 | | | | | | | | | | |
| 11. | 14/2025 | स्त्री रोग एवं प्रसव | बैकलॉग से | 01 | | 00 | | 01 | | 00 | | 00 | 47 | 16 | 12 | 04 | 120 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 |
| | | | चालू | 18 | 06 | 01 | 00 | 21 | 07 | 15 | 05 | 04 | | | | | | | | | | |
| 12. | 15/2025 | मनोरोग | बैकलॉग से | 01 | | 00 | | 01 | | 00 | | 00 | 25 | 09 | 06 | 02 | 63 | 02 | 01 | 01 | 01 | 00 |
| | | | चालू | 09 | 03 | 01 | 00 | 10 | 04 | 08 | 03 | 02 | | | | | | | | | | |
| 13. | 16/2025 | फिजियोलॉजी | बैकलॉग से | 01 | | 00 | | 01 | | 00 | | 00 | 24 | 08 | 06 | 02 | 62 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 |
| | | | चालू | 09 | 03 | 01 | 00 | 10 | 04 | 08 | 03 | 02 | | | | | | | | | | |
| 14. | 17/2025 | फार्माकोलॉजी | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 23 | 08 | 06 | 02 | 59 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 |
| | | | चालू | 09 | 03 | 01 | 00 | 11 | 04 | 07 | 02 | 02 | | | | | | | | | | |
| 15. | 18/2025 | पी.एस.एम. | बैकलॉग से | 01 | | 00 | | 01 | | 00 | | 00 | 22 | 08 | 05 | 02 | 56 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| | | | चालू | 08 | 03 | 01 | 00 | 09 | 03 | 07 | 02 | 02 | | | | | | | | | | |
| 16. | 19/2025 | पैथोलॉजी | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 34 | 12 | 08 | 03 | 84 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | | चालू | 13 | 05 | 01 | 00 | 15 | 05 | 10 | 04 | 03 | | | | | | | | | | |
| 17. | 20/2025 | शिशु रोग | बैकलॉग से | 01 | | 00 | | 01 | | 01 | | 00 | 42 | 15 | 10 | 04 | 106 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | | चालू | 16 | 06 | 01 | 00 | 19 | 07 | 12 | 04 | 03 | | | | | | | | | | |
| 18. | 21/2025 | पी.एम.आर. | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 18 | 06 | 04 | 01 | 43 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 |
| | | | चालू | 07 | 02 | 01 | 00 | 07 | 02 | 05 | 02 | 01 | | | | | | | | | | |
| 19. | 22/2025 | रेडियोलॉजी | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 29 | 10 | 07 | 02 | 73 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 |
| | | | चालू | 12 | 04 | 01 | 00 | 13 | 05 | 09 | 03 | 02 | | | | | | | | | | |
| 20. | 23/2025 | चर्म एवं रति रोग | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 27 | 09 | 07 | 02 | 67 | 02 | 01 | 01 | 01 | 00 |
| | | | चालू | 10 | 04 | 01 | 00 | 12 | 04 | 08 | 03 | 02 | | | | | | | | | | |
| 21. | 24/2025 | टी.बी. एण्ड चेस्ट | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 27 | 09 | 07 | 02 | 68 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 |
| | | | चालू | 11 | 04 | 01 | 00 | 12 | 04 | 08 | 03 | 02 | | | | | | | | | | |
| 22. | 25/2025 | जेरियाट्रिक्स | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 14 | 05 | 03 | 01 | 36 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| | | | चालू | 06 | 02 | 01 | 00 | 07 | 02 | 04 | 01 | 01 | | | | | | | | | | |
| 23. | 26/2025 | रेडियोथेरेपी | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 30 | 11 | 08 | 03 | 76 | 02 | 01 | 01 | 01 | 00 |
| | | | चालू | 13 | 05 | 01 | 00 | 13 | 05 | 09 | 03 | 02 | | | | | | | | | | |
| 24. | 27/2025 | स्पोर्टस मेडिसिन | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | | चालू | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | | | | | | | | |
| 25. | 28/2025 | इमरजेंसी मेडिसिन | बैकलॉग से | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 30 | 11 | 07 | 02 | 74 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 |
| | | | चालू | 12 | 04 | 01 | 00 | 13 | 05 | 09 | 03 | 02 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | कुल | | | | 1711 | 41 | 15 | 20 | 22 | 14 |

नोटः— रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट–बढ़ सकती है।

2. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभवः—

| क्र॰ सं॰ | विभाग का नाम | शैक्षणिक योग्यता | शिक्षण और अनुसंधान अनुभव |
|---|---|---|---|
| 1. | एनाटॉमी | एमडी/एमएस/डीएनबी (एनाटॉमी) | एमडी/एमएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त/अनुमत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के ऐसे पदाधिकारी जिन्हें विषय विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि एवं इसके उपरान्त भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में न्यूनतम तीन वर्षों का रेजिडेंट/सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है, वे भी सहायक प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।<br>नोटः—(i) विज्ञापन संख्या—07/2025, सहायक प्राध्यापक, दंत रोग के लिए एमडीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त/अनुमत चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। |
| 2. | निश्चेतना | एमडी/एमएस/डीएनबी (एनेस्थीसिया) | |
| 3. | बायोकेमेस्ट्री | एमडी/डीएनबी (बायोकेमेस्ट्री) | |
| 4. | दंत रोग | एमडीएस | |
| 5. | नेत्र रोग | एमडी/एमएस/डीएनबी (नेत्र विज्ञान) | |
| 6. | नाक, कान एवं गला | एमएस/डीएनबी (ओटो–रिनो–लैरिंगोलॉजी) | |
| 7. | एफ॰एम॰टी॰ | एमडी/डीएनबी (फोरेसिंक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) | |
| 8. | माइक्रोबायोलॉजी | एमडी/डीएनबी (माइक्रोबायोलॉजी) | |
| 9. | औषधि | एमडी/डीएनबी (सामान्य चिकित्सा) | |
| 10. | हड्डी रोग | एमएस/डीएनबी (हड्डी रोग) | |
| 11. | स्त्री एवं प्रसव रोग | एमडी/एमएस/डीएनबी (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान) | |
| 12. | मनोरोग | एमडी/डीएनबी (मनोरोग) | |
| 13. | फिजियोलॉजी | एमडी/डीएनबी (फिजियोलॉजी) | |
| 14. | फार्माकोलॉजी | एमडी/डीएनबी (फार्माकोलॉजी) | |
| 15. | पी॰एस॰एम॰ | एमडी/डीएनबी (सामुदायिक चिकित्सा)/एमडी (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) | |
| 16. | पैथोलॉजी | एमडी/डीएनबी (विकृति विज्ञान) | |
| 17. | शिशु रोग | एमडी/डीएनबी (बाल रोग) | |
| 18. | पी॰एम॰आर॰ | एमडी/डीएनबी (शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास) | |
| 19. | रेडियोलॉजी | एमडी/डीएनबी (विकिरण निदान) | |
| 20. | चर्म एवं रति रोग | एमडी/डीएनबी (डीवीएल) | |
| 21. | टी॰बी॰ एण्ड चेस्ट | एमडी/डीएनबी (श्वसन चिकित्सा/पलमोनरी मेडिसिन) | |
| 22. | जेरियाट्रिक्स | एमडी/डीएनबी (जरा चिकित्सा) | |
| 23. | रेडियोथेरेपी | एमडी/डीएनबी (विकिरण कैंसर विज्ञान) | |
| 24. | स्पोर्टस मेडिसिन | एमडी/एमएस/डीएनबी (ऑर्थोपेडिक्स/पी॰एम॰आर॰) अथवा जेनरल मेडिसिन में स्नातकोत्तर (MD/MS/DNB) उपाधि प्राप्त छात्रों को MD/MS/DNB स्पोर्टस मेडिसिन के समकक्ष माना जायेगा।<br>ऐसे छात्र अगर स्पोर्टस मेडिसिन विभाग में तीन वर्षीय सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर का टेन्योर पूरा कर लेते हैं तो उन्हें सहायक प्राध्यापक में स्पोर्टस मेडिसिन के लिए योग्य समझा जायेगा। | |
| 25. | इमरजेंसी मेडिसिन | एमडी/एमएस/डीएनबी —जेनरल मेडिसिन/निश्चेतना/रिसपाइरेटरी मेडिसिन/जेनरल सर्जरी/ऑर्थोपेडिक्स के साथ संबंधित विषय (इमरजेंसी मेडिसिन) में तीन वर्ष का सीनियर रेजिडेंट। | |

3. <u>वेतनमान</u> —अपुनरीक्षित वेतनमान 15,600—39,100/— रू॰ ग्रेड पे॰ — 6600/— रू॰ एवं सातवें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर—11

4. <u>उम्र सीमा</u> —दिनांक 01.08.2024 को अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) के लिए 48 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 48 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) के लिए 50 वर्ष तथा बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सक के लिए उम्र सीमा 50 वर्ष। वार्धक्य सेवानिवृति की आयु 67 वर्ष है।

(i) जेरियाट्रिक्स विभाग, स्पोर्टस मेडिसिन विभाग एवं इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में नियुक्ति प्रथम संव्यवहार है। अतएव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक—212, दिनांक—23.01.2006 का छूट लागू नहीं होगा।

(ii) दंत रोग एवं रेडियोथेरेपी विभाग के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक–212, दिनांक–23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक– 31.05.2012 से 01.08.2024 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं, भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते वे अन्य अहर्ताएँ पूरी करते हों एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त शेष कुल–20 विभागों के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक–212, दिनांक–23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक–01.08.2017 से 01.08.2024 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं, भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते वे अन्य अहर्ताएँ पूरी करते हों एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–22218, दिनांक–12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। **बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।**

(v) **सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–22218, दिनांक–12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।**

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। **दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण–पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो।**

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।

**भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।**

5. <u>चयन का आधार</u>–

**शैक्षणिक योग्यता के लिए मूल्यांकनः–**

अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मूल्यांकन आवंटित किए जाएंगे –

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (क) | एम॰बी॰बी॰एस॰/बी॰डी॰एस॰ विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग | 70% से उपर | 65% से उपर | 60% से उपर | 55% से उपर | 50% से उपर |
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

नोटः–(a) **एक या अधिक एम॰बी॰बी॰एस॰/बी॰डी॰एस॰ परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामलें में, खास एम॰बी॰बी॰एस॰/बी॰डी॰एस॰ परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना, संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जाएगी।**

(b) **विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से एम॰बी॰बी॰एस॰ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट (एफ०एम०जी०ई०) के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जायेगा।**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ख) | भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के अनुसार, आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय समूह में प्राप्तांक | 70% से उपर | 65% से उपर | 60% से उपर | 55% से उपर | 50% से उपर |
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

नोटः–आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामलें में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जाएगा।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ग) | एम॰डी॰/एम॰एस॰/एम॰डी॰एस॰ अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्पेशियलिटी में समकक्ष मानी गयी अर्हता | — | 10 अंक |
| (घ) | उसी स्पेशियलिटी में पीएच॰डी॰, डी॰एम॰, एम॰सी॰एच॰ एवं डी॰एन॰बी॰ (सुपरस्पेशियलिटी) | — | 10 अंक |
| (ङ.) | सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (प्रति पूर्ण वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) | — | 10 अंक |
| (च) | साक्षात्कार | — | 06 अंक |

नोटः—(i) बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान, जो एन॰एम॰सी॰ द्वारा मान्यता प्राप्त हो) क्षेत्र के चिकित्सा शिक्षा के कार्यानुभव को अधिमानता दी जायेगी। सक्षम प्राधिकार (प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक) द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। कार्यानुभव प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब उक्त के संबंध में नियुक्ति पत्र एवं प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा। चिकित्सा शिक्षा के कार्यानुभव हेतु संस्थानों की सूची आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

(ii) ऐसे एम॰आर॰सी॰पी॰, एफ॰आर॰सी॰एस॰ आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जाएगा।

(iii) एम॰बी॰बी॰एस॰/बी॰डी॰एस॰ परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए एक अंक घटाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों, वे पात्र नहीं होंगे।

(iv) यदि पीएच॰डी॰ डिग्री ऐसे संस्थान से प्राप्त की गई है, जहाँ मेडिकल विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है तथा पीएच॰डी॰ डिग्री **MD/MS/PG diploma/M.Sc in Medical Subjects** उपाधि प्राप्ति के उपरान्त उसी मेडिकल स्पेशिलिटी में प्राप्त की गई है, तो **Ph.D degree** उपरोक्त पद हेतु योग्य मानी जायेगी एवं अभ्यर्थियों को इसका अंक दिया जायेगा।

(v) मान्यता प्राप्त जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नानुसार अतिरिक्त अंक आवंटित किए जायेंगे। किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जाएगा, जब वह उस विषय के प्रभारी प्राध्यापक अथवा विभागाध्यक्ष जिसके, अधीन उसने अपना लेख (पेपर) तैयार किया हो, से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे।

अधिकतम 10 अंकों के अधीन रहते हुए किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसाइटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल आर्गन हो अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल आर्गन हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2 (दो) अंक।

शोध प्रकाशन केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज पर विचार किया जायेगा, जो मेडलाइन, पबमेड सेन्ट्रल, साईस साइटेशन इंडेक्स, साईस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैंडिड/एम्बेस, स्कोपस, डायरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं।

**Co-Author** को अंक देय होगा एवं **Accepted for Publication** के लिए भी अंक देय होगा।

(vi) सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति का पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 18 (अठारह) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(vii) प्रतिवर्ष का तात्पर्य प्रत्येक पूर्ण वर्ष अर्थात् लीप वर्ष (366 दिन) को 365 दिन के समान मानी जायेगी।

(viii) एम॰बी॰बी॰एस॰/बी॰डी॰एस॰, एम॰डी॰/एम॰एस॰/डीएन॰बी॰ (Speciality)/एम॰डी॰एस॰, पीएच॰डी॰, डी॰एम॰/एम॰सी॰एच॰/डीएन॰बी॰ (Super Speciality) की डिग्री एन॰एम॰सी॰/डी॰सी॰आई॰ से मान्यता प्राप्त कॉलेजों/संस्थानों से होनी चाहिए।

(ix) अभ्यर्थी अपने एन॰एम॰सी॰ अथवा राज्य चिकित्सा रजिस्टर या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर से प्राप्त निबंधन प्रमाण–पत्र में सभी प्राप्त डिग्रियों की अद्यतन प्रविष्टि करा लेंगे।

6. आरक्षण :–

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर परीक्षा के किसी भी स्तर/चरण में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

**(ii)** आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। **आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।**

**(iii)(A)** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b)स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण–पत्र

**(B)** पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

**आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।**

**(iv)** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या– 2622, दिनांक– 26.02.2019 एवं पत्रांक–12123, दिनांक– 23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15/2023 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरूष/महिला) को ही देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (EWS) निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

**(v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।**

**आरक्षित कोटि निम्नवत् है :–**

| क्र०सं० | आरक्षित कोटि | ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि | कोटि कोड |
|---|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित (Unreserved) | UR | 01 |
| 2. | अनुसूचित जाति (Schedule Caste) | SC | 02 |
| 3. | अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe) | ST | 03 |
| 4. | अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class) | EBC | 04 |
| 5. | पिछड़ा वर्ग (Backward Class) | BC | 05 |
| 6. | पिछड़े वर्ग की महिला (Backward Class ladies) | BCL | 06 |
| 7. | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) | EWS | 07 |

**(vi)** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–962, दिनांक– 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगो (Persons with Benchmark Disability)को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/Civil Surgeon/CMO से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता संबंधित जाँच कराने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (**Renewal**) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342, दिनांक– 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2526, दिनांक– 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 11687, दिनांक–30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–16144, दिनांक–28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि–07.05.2025 तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

नोटः–(a) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

(b) आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

(i) मैट्रिक का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।

(ii) एन॰एम॰सी॰ अथवा राज्य चिकित्सा रजिस्टर या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में निबंधन से संबंधित प्रमाण–पत्र।

(iii) एम॰बी॰बी॰एस॰/बी॰डी॰एस॰ की सभी परीक्षाओं/सत्र का उत्तीर्ण अंक पत्र।

(iv) एम॰बी॰बी॰एस॰/बी॰डी॰एस॰ की सभी परीक्षाओं/सत्र का अनुत्तीर्ण अंक पत्र (अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में)।

(v) एम॰बी॰बी॰एस॰/बी॰डी॰एस॰ के सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने संबंधी अवसर प्रमाण पत्र (**Attempt Certificate**)।

(vi) एम॰बी॰बी॰एस॰/बी॰डी॰एस॰ प्रमाण पत्र।

(vii) विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना हेतु विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट (एफ॰एम॰जी॰ई॰) से संबंधित प्रमाण–पत्र।

(viii) एम॰डी॰/एम॰एस॰/डी॰एन॰बी॰/एम॰डी॰एस॰ अंक पत्र। (अंक पत्र निर्गत होने की स्थिति में) (विज्ञापन की कंडिका–2 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।

(ix) एम॰डी॰/एम॰एस॰/डी॰एन॰बी॰/एम॰डी॰एस॰ प्रमाण–पत्र (विज्ञापन की कंडिका–2 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।

(x) डी॰एम॰/एम॰सी॰एच॰/पीएच॰डी॰/डी॰एन॰बी॰ (सुपरस्पेशियलिटी) प्रमाण–पत्र।

(xi) एमडी/एमएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त/अनुमत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, जिसमें उक्त चिकित्सा कॉलेज के एन॰एम॰सी॰ से मान्यता प्राप्त होने का स्पष्ट उल्लेख हो। (विज्ञापन की कंडिका–2 शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अनुरूप) (दावा किये गये कार्यानुभव से सम्बन्धित नियुक्ति पत्र एवं प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन समर्पित किया जाना आवश्यक होगा)।

(xii) बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के पदाधिकारी के लिए विषय विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि एवं इसके उपरान्त भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में न्यूनतम तीन वर्षों का रेजिडेंट/सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र, जिसमें उक्त चिकित्सा कॉलेज के एन॰एम॰सी॰ से मान्यता प्राप्त होने का स्पष्ट उल्लेख हो। (विज्ञापन की कंडिका–2 शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अनुरूप) (दावा किये गये कार्यानुभव से सम्बन्धित नियुक्ति पत्र एवं प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन समर्पित किया जाना आवश्यक होगा)।

(xiii) वि॰सं॰–07/2025, दंत रोग के लिए एमडीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त/अनुमत चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, जिसमें उक्त चिकित्सा कॉलेज के एन॰एम॰सी॰/डी॰सी॰आई॰ से मान्यता प्राप्त होने का स्पष्ट उल्लेख हो। (विज्ञापन की कंडिका–2 शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अनुरूप) (दावा किये गये कार्यानुभव से सम्बन्धित नियुक्ति पत्र एवं प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन समर्पित किया जाना आवश्यक होगा)।

(xiv) चिकित्सा शिक्षा के कार्यानुभव हेतु सक्षम प्राधिकार (प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक) द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र, जिसमें कार्य करने की अवधि तथा उक्त संस्थान के एन॰एम॰सी॰/डी॰सी॰आई॰ (केवल दंत रोग के लिए) से मान्यता प्राप्त होने का स्पष्ट उल्लेख हो। (विज्ञापन की कंडिका–5(ड.) एवं नोट–(i) अनुभव के अनुरूप) (दावा किये गये कार्यानुभव से सम्बन्धित नियुक्ति पत्र एवं प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन समर्पित किया जाना आवश्यक होगा)।

(xv) सभी प्रकाशित जर्नल्स की प्रति (विज्ञापन की कंडिका–5 के नोट–(v) के अनुरूप)।

(xvi) जर्नल्स के **Accepeted for publication** होने की स्थिति में **Journals Acceptence Letter** की प्रति।

(xvii) विज्ञापन की कंडिका–5 के नोट–(v) के आलोक में जर्नल्स के मुख्य लेखक के प्रमाण के लिए उस विषय के प्रभारी प्राध्यापक अथवा विभागाध्यक्ष जिसके अधीन वह अपना लेख (पेपर) तैयार किया है। इस आशय से संबंधित प्रमाण पत्र।

(xviii) एम॰बी॰बी॰एस॰/बी॰डी॰एस॰, एम॰डी॰/एम॰एस॰/डीएन॰बी॰(**Speciality**)/एम॰डी॰एस॰, पीएच॰डी॰, डी॰एम॰/एम॰सी॰एच॰/डीएन॰बी॰(**Super Speciality**) की डिग्री एन॰एम॰सी॰/डी॰सी॰आई॰ से मान्यता है, इस आशय का संबंधित कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान से निर्गत प्रमाण पत्र।

(xix) बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सक के लिए उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(xx) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)।

(xxi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)।

(xxii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)।

(xxiii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र। (आवेदन करते समय उक्त प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए)।

(xxiv) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र।

(xxv) बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(xxvi) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(xxvii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण–पत्र।

(xxviii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।

(xxix) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xxx) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

(xxxi) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

(xxxii) ऑनलाइन आवेदन की Hard Copy की प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण–पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा।

7. <u>शुल्क</u>:–

अभ्यर्थियों को विज्ञापनवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है:–

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए– 100/–(एक सौ) रूपये

(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 25/– (पच्चीस) रूपये

(iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए– 25/– (पच्चीस) रूपये

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए– 25/– (पच्चीस) रूपये

(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 100/–(एक सौ) रूपये

नोटः– जो पूर्व में सहायक प्राध्यापक (स्पेशियलिटी) पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या–34/2024 से 56/2024 में रजिस्ट्रेशन करते हुए शुल्क का भुगतान कर चूके हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के क्रम में पुनः भुगतान करने से छूट रहेगा।

जो पूर्व में केवल रजिस्ट्रेशन किये हैं, परन्तु शुल्क का भुगतान नहीं किये हैं वह नये सिरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोटः–(i) वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/–(दो सौ) रूपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान करना होगा।

(ii) वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी/अनारक्षित महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।

8. <u>ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं</u>:– (i)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि | 08.04.2025 |
| 2. | ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि | 07.05.2025 |

(ii) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) सभी उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक होगी। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण एवं अनुसंधान अनुभव, अन्य योग्यता तथा आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में प्रमाण–पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य/साक्ष्य गलत/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।

(iv) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

9. <u>ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:–</u>

## A. One Time Registration (OTR)

(i) BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट https://bpsconline.bihar.gov.in पर One Time Registration (OTR) करना अनिवार्य है।

(ii) OTR करने के लिए अभ्यर्थी New user Registration Button पर Click करेंगे।

(iii) भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु उक्त OTR ही मान्य होगा।

(iv) OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देना है।

(v) OTR करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अपने ईमेल के Inbox या Spam में अपना ईमेल OTP देखे।

(vi) जो उम्मीदवार BPSC द्वारा विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग होगा।

(vii) **एक से अधिक OTR पंजीकरण की अनुमति नहीं है। इससे आपका आवेदन अस्वीकृत/रद्द हो सकता है।**

(viii) जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय One Time Registration (OTR) कराया है, वे भी नए पोर्टल पर नये सिरे से OTR प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे।

(ix) ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाईल नं०/ईमेल०आई०डी० एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाये गये पासवर्ड से URL: https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर Login करेंगे।

नोटः–

**(i) OTR के क्रम में भरे गये अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार व जन्मतिथि में परिवर्त्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।**

**(ii) आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे Digilocker Account के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है।**

## B. INSTRUCTIONS FOR DIGILOCKER ACCOUNT:-

(i) OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही Digilocker का Meri Pehchan Portal खुल जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के पास Digilocker का Account उपलब्ध है, तो Digilocker Account का Consent OAMS को देते हुए Sign in करना होगा एवं अगर आवेदक के पास Digilocker का Account उपलब्ध नहीं है, तो New Sign up करते हुए Digilocker Account Create कर सकते हैं एवं Digilocker का Consent OAMS को देते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

(ii) यदि आवेदक ने पहले ही डिजिलॉकर पर दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और OAMS को access दी है, तो वे सीधे वहां से उन दस्तावेजों को OAMS से Link कर सकते हैं।

(iii) यदि आवेदक Digilocker के Portal के माध्यम से Proceed नहीं करना चाहते हो तो Browser के Back (←) Button पर Click करने के उपरान्त Online Application का Portal खुल जायेगा। Online Application Portal पर Login Credentials Enter करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

## C. INSTRUCTIONS FOR PROFILE CREATION:-

प्रोफाइल निर्माण के लिए छह चरण हैं। वे इस प्रकार हैं:–

Step 1: Personal Information (व्यक्तिगत जानकारी)
Step 2: Address Information (पता संबंधी जानकारी)
Step 3: Other Information (अन्य जानकारी)
Step 4: Qualification Information (योग्यता संबंधी जानकारी)
Step 5: Experience Information (अनुभव संबंधी जानकारी)
Step 6: Upload Photo / Signature and Profile Lock ( अपलोड फोटो/हस्ताक्षर प्रोफाइल लॉक)

**Step 1: व्यक्तिगत जानकारी :** इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे स्वयं की जाति और श्रेणी विवरण (UR, EWS, BC, EBC, SC एवं ST)। आवेदक को अपनी किसी भी प्रकार की दिव्यांगता, खेलों का विवरण, भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडेट, सरकारी कर्मचारी से संबंधित जानकारी देनी होगी। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 2: पता संबंधी जानकारी :** इस चरण में आवेदक को अपना स्थायी पता भरना होगा, जैसे उसका पता, राज्य, जिला और पिन कोड। फिर आवेदक को पत्राचार का पता देना होगा। यदि स्थायी पता पत्राचार के पते के समान है, तो आवेदक Same as Above पर Click कर सकता है। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 3: अन्य जानकारी :** इस चरण में यदि आवेदक के खिलाफ चल रहे कोई भी आपराधिक कार्यवाही या सजा का विवरण है तो उसे भरना होगा। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 4: योग्यता संबंधी जानकारी :** इस चरण में आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण दर्ज करना होगा। आवेदक कम से कम 10वीं एवं बारहवीं से आगे तक जानकारी प्रदान कर सकता है। इस चरण में शैक्षणिक योग्यता (ड्रॉप–डाउन में उपलब्ध विकल्प में से चुनना होगा), शैक्षणिक योग्यता का नाम, विषय, राज्य, बोर्ड/विश्वविद्यालय, शैक्षणिक योग्यता की स्थिति (Completed or Appearing), शैक्षणिक योग्यता की उत्तीर्णता की तिथि, प्रयास (Attempt), प्राप्त अंक, कुल अंक, प्रतिशत (उन विश्वविद्यालय के अनुसार जहाँ आवेदक ने अध्ययन किया है), शैक्षिक महीनों की संख्या, वर्ग या श्रेणी, मोड (Distance or Regular), अनिवार्य विषय, वैकल्पिक विषय, सीट या रोल संख्या और उत्तीर्णता का वर्ष अंकित करना होगा। एक योग्यता का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 5: अनुभव संबंधी जानकारी :** इस चरण में यदि आवेदक के पास कोई प्रासंगिक कार्य अनुभव है, तो उसे हाँ पर क्लिक करना होगा अन्यथा नहीं पर Click करें। यदि आवेदक हाँ का चुनाव करते हैं, तो आवेदक को अपने कार्यानुभव का विवरण (वर्तमान/पूर्व), नियोजन का प्रकार, विभाग जहां वे कार्यरत हैं/थे, बिहार सरकार के अन्तर्गत संस्थान का नाम, पदनाम, ग्रेड पे, मूल वेतन एवं किस तिथि से कार्यरत हैं, का विवरण अंकित करना होगा। एक कार्य अनुभव का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 6: फोटो एवं हस्ताक्षर एवं प्रोफाइल लॉकः** इस चरण में आवेदक को एक वेब कैमरा की आवश्यकता होगी, जिससे वे अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसके बाद आवेदक को एक अंग्रेजी और एक हिंदी हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर फोटो का आकार 20kb से अधिक नहीं होना चाहिए एवं Width 150–220 Pixel के बीच और Height 250–320 Pixel के बीच होनी चाहिए एवं उसके बाद Save बटन पर Click करना होगा। अंत में आवेदक को check-box पर Click करके इस बात की पुष्टि करनी होगी कि प्रदान की गई सभी जानकारी सही है एवं उसके बाद आवेदक Submit और Lock Profile पर Click करना होगा।

नोटः–

(i) Lock Profile पर Click करने के बाद Profile Lock होने के बाद ही आवेदक को Active Advertisements की लिस्ट New Advertisement Tab के अन्दर दिखेंगे।

(ii) यदि आवेदक अपने Profile में कुछ Edit/Update करना चाहता है तो My Account Tab में जाकर Update/Unlock Profile Tab से कर सकता है। Update/Unlock Profile Tab पर क्लिक करने के बाद आवेदक के द्वारा दिये गये ईमेल और मोबाईल नम्बर पर OTP प्राप्त होगा, जिसे भरने के बाद आवेदक अपने Profile को Edit/Update कर सकता है। Edit/Update करने के पश्चात् Profile को Lock करना होगा। जो Step 6 Tab में उपलब्ध है।

(iii) Profile Lock होने के बाद अगर किसी विज्ञापन के लिए Apply कर देते हैं, तो उस विज्ञापन में दिये गये किसी भी प्रविष्टि (Details) में कोई भी सुधार/परिवर्तन नहीं होगा।

## D. INSTRUCTIONS FOR NEW APPLICATION

(i) आवेदक का Profile Create होने के बाद New Application Tab में सारी On going/Active Advertisements दिखेगा, जिसमें View Button पर Click करने के बाद Check Advertisement Criteria पर Click करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे एवं Submit & Pay Fees पर Click करके Payment की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

(ii) Application Form एवं Payment की प्रक्रिया पूर्ण होने पर My Account Tab पर Click करने के बाद आवेदक द्वारा Apply किये गये Advertisements दिखेंगे, जिसके Action Column में Application Form Print, Cancel Application, Pay Now (अगर Payment नहीं हुआ है), Payment History का विकल्प उपलब्ध होगा।

(iii) यदि किसी आवेदक के Application Form में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो वे अपना आवेदन Cancel करके नए सिरे से Application Form भरना सुनिश्चित करेंगे।

नोटः– Application Form Cancel करने के बाद कोई भी भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण–पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(iv) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे।

(v) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id एवं Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 अंकित नहीं करेंगे।

(vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(vii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर **Webcam** के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(viii) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

(ix) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की पाँच प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

## E. MY ACCOUNT TAB

(i) यदि किसी आवेदक को अपना पासवर्ड Change करना है, तो आवेदक My Account Tab में उपलब्ध विकल्प से कर सकता है।

(ii) यदि आवेदक उस समय फीस नहीं जमा करना चाहता है, तो आवेदक फीस बाद में भी जमा कर सकता है। उस समय, आवेदक को My Account Tab में जाना होगा, फिर उस टैब में फीस जमा करने का विकल्प है।

(iii) ऑनलाइन आवेदन भरने एवं हार्ड कॉपी डाउनलोड करने के बाद **Profile** में किया गया कोई भी परिवर्त्तन मान्य नहीं होगा।

(iv) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

(v) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Application Number, Application ID** एवं **Bar Code** अंकित है। हार्ड कॉपी पर **Application Number, Application ID** एवं **Bar Code** में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(vi) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को My Account Tab से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

**Note:-** यदि आवेदक को **OTR** एवं **Application Form** भरने में कोई शिकायत है, तो **Grievance Tab** में उसका विवरण दे सकते हैं।

10. <u>महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–

(i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः **My Account Tab** पर **Click** करेंगे, तत्पश्चात् **Action** के अन्दर **View Option** पर **Click** करने पर **Application Print** का **Option** दिखेगा जहाँ से भरे हुए आवेदन की दो प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण–पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

11. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

12. शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं जर्नल्स संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है।

13. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट <u>www.bpsc.bihar.gov.in</u> पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

14. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट <u>www.bpsc.bihar.gov.in</u> पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

15. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/4/25

परीक्षा नियंत्रक,<br>
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना